

# कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) करौली

क्रमांक:-रसद/एफ.पी.एस. नियु./विज्ञप्ति/2023/५०७

दिनांक:- १५.०२.२०२३

## विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ. 17 (5) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस (राजकीय अवकाश को छोड़कर) को कार्यालय में जिला रसद कार्यालय करौली से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 10.03.2023 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली में जमा करवाये जा सकेंगे। नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	ग्राम पंचायत	नवसृजित	उपखण्ड क्षेत्र	तहसील	महिला आरक्षण की स्थिति
1	खेडा	नवसृजित	हिण्डौन	हिण्डौन	-
2	खेडी हैवत	नवसृजित	हिण्डौन	सूरौठ	-
3	जगर	नवसृजित	हिण्डौन	सूरौठ	-
4	मिल्की पुरा	नवसृजित	हिण्डौन	सूरौठ	-
5	ढिंडोरा	नवसृजित	हिण्डौन	सूरौठ	-
6	ढिंडोरा-2	नवसृजित	हिण्डौन	सूरौठ	महिला आरक्षित
7	पालनपुर	नवसृजित	हिण्डौन	हिण्डौन	-
8	फुलवाडा	नवसृजित	हिण्डौन	हिण्डौन	महिला आरक्षित
9	भुकरावली	नवसृजित	हिण्डौन	सूरौठ	-
10	कैलाश नगर (पुरानी पंचायत मंडावरा)	नवसृजित	हिण्डौन	हिण्डौन	-
11	पॉचौली	नवसृजित	मण्डरायल	मण्डरायल	-
12	तालचिडा	नवसृजित	नादौती	नादौती	-
13	वाडाराजपुर	नवसृजित	नादौती	नादौती	महिला आरक्षित
14	पाल	नवसृजित	नादौती	नादौती	-

X

15	करसाई	नवसृजित	करौली	करौली	-
----	-------	---------	-------	-------	---

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा-निर्देशों तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय करौली में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताएं निम्नानुसार होगी—

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदन उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदन की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदन की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजरथान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक से स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा, यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदन से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा कि चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
3. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय एक प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये।
4. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
5. आवेदक द्वारा निम्न विन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा—
  - 5.1 आवेदक पूर्व में ईर्सी एकट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
  - 5.2 आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
  - 5.3 आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
  - 5.4 आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
  - 5.5 आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
  - 5.6 आवेदक यालिग एवं रखरथचित्त है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
  - 5.7 आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000 रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंखा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000 होना आवश्यक है।
7. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।
8. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
10. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
11. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदकों को कार्यालय में जमा करवाने होंगे पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा फार्म मान्य नहीं है।

  
(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर (रसद)  
करौली

क्रमांक:-रसद/एफ.पी.एस. नियु./विज्ञप्ति/2023/ 908-21  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक:- 14.02.2023

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।
5. माननीय सांसद महोदय करौली।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला करौली।
7. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला करौली।
8. तहसीलदार समस्त जिला करौली।
9. आयुक्त नगर परिषद् करौली/हिण्डौन/ई.ओ. नगर पालिका टोडाभीम।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला करौली।
11. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त जिला करौली।
12. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम करौली।
13. सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय करौली को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(रामसिंह मीना)  
जिला रसद अधिकारी  
करौली

# कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) करौली

क्रमांक:-रसद / एफ.पी.एस. नियु./विज्ञप्ति/2023/ ५२२

दिनांक:- १५.०२.२०२३

## विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ. 17 (5) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस (राजकीय अवकाश को छोड़कर) को कार्यालय में जिला रसद कार्यालय करौली से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञाप्ति जारी होने की दिनांक से 10.03.2023 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	ग्राम पंचायत	रिक्त उ.मू.दु. मशीन नं.	उपखण्ड क्षेत्र	तहसील	महिला आरक्षण की स्थिति
1	झारेडा	19025	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
2	कटकड़	19118	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
3	कटकड़	19080	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	महिला आरक्षित
4	चॉदनगाँव	19041	हिण्डौन ग्रामीण	श्रीमहावीर जी	—
5	ढहरा	19030	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
6	मण्डावरा	28542	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
7	खेडली गुर्जर	18971	हिण्डौन ग्रामीण	सूरौठ	—
8	मोठियापुरा	28515	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
9	करसौली	18921	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	महिला आरक्षित
10	बाढ़ करसौली	19138	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
11	भुकरावली	18938	हिण्डौन ग्रामीण	सूरौठ	महिला आरक्षित
12	लहचौडा	18985	हिण्डौन ग्रामीण	सूरौठ	—
13	लहचौडा	19053	हिण्डौन ग्रामीण	सूरौठ	महिला आरक्षित
14	पालनपुर	19095	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
15	पटौदा	8243	हिण्डौन ग्रामीण	श्रीमहावीरजी	—
16	अकबरपुर	19079	हिण्डौन ग्रामीण	श्रीमहावीरजी	महिला आरक्षित
17	अकबरपुर	19048	हिण्डौन ग्रामीण	श्रीमहावीरजी	महिला आरक्षित
18	सनेट	19094	हिण्डौन ग्रामीण	श्रीमहावीरजी	—
19	भंगो	19130	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
20	विजयपुरा	25406	हिण्डौन ग्रामीण	सूरौठ	—
21	विजयपुरा	18944	हिण्डौन ग्रामीण	सूरौठ	—
22	जटनौगला	18916	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
23	बाजना	18945	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	महिला आरक्षित
24	गुनसार	18931	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	महिला आरक्षित
25	कटकड़	19140	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	महिला आरक्षित
26	गॉवडाग्नीना	18994	हिण्डौन ग्रामीण	हिण्डौन	—
27	रिक्त वार्ड नं. 15	21108	हिण्डौन शहर	नगर परिषद हिण्डौन	—
28	रिक्त वार्ड नं. 10	21096	हिण्डौन शहर	नगर परिषद हिण्डौन	महिला आरक्षित
29	रिक्त वार्ड नं. 36	25197	हिण्डौन शहर	नगर परिषद हिण्डौन	—
30	रिक्त पाचौली	19558	मण्डरायल	मण्डरायल	महिला आरक्षित

P

31	रिक्त मण्डरायल	19534	मण्डरायल	मण्डरायल	—
32	रिक्त रानीपुरा—।।	19551	मण्डरायल	मण्डरायल	—
33	रिक्त करनपुर—।	19388	सपोटरा / ब्लॉक मण्डरायल	सपोटरा	महिला आरक्षित
34	रिक्त करनपुर—।।	25560	सपोटरा / ब्लॉक मण्डरायल	सपोटरा	—
35	रिक्त एकट	19485	सपोटरा	सपोटरा	महिला आरक्षित
36	रिक्त कॉचरोदा	25558	सपोटरा	सपोटरा	—
37	रिक्त गोठरा	19428	सपोटरा	सपोटरा	—
38	रिक्त दौलतपुरा-।	19491	सपोटरा	सपोटरा	महिला आरक्षित
39	रिक्त नारौली	8205	सपोटरा	सपोटरा	—
40	रिक्त लूलोज	25565	सपोटरा	सपोटरा	—
41	रिक्त लूलोज	8204	सपोटरा	सपोटरा	—
42	गढ़खेडा	8218	नादौती	नादौती	महिला आरक्षित
43	चिरावडा	19303	नादौती	नादौती	—
44	राजाहेडा	25411	नादौती	नादौती	—
45	रुधपुरा	25240	करौली	गासलपुर	—
46	खूबनगर	19154	करौली	करौली	—
47	करसाई	19176	करौली	करौली	—
48	काशीपुरा	29022	करौली	करौली	—
49	कोटा मामचारी	19275	करौली	करौली	—
50	कैलादेवी	19262	करौली	करौली	महिला आरक्षित
51	मासलपुर	19209	करौली	गासलपुर	—
52	पिपरानी	25232	करौली	गासलपुर	महिला आरक्षित
53	भावली	8259	करौली	गासलपुर	—
54	भावली	19297	करौली	गासलपुर	महिला आरक्षित
55	रामपुरधावाई	25234	करौली	करौली	—
56	ससेडी	25245	करौली	करौली	महिला आरक्षित
57	सेंगरपुरा	25244	करौली	करौली	—
58	सेमरदा	25249	करौली	करौली	महिला आरक्षित
59	तुलसीपुरा	19227	करौली	करौली	—
60	नारायणा	8265	करौली	गासलपुर	—
61	मासलपुर	8264	करौली	गासलपुर	—
62	रिक्त वार्ड नं० 20	18285	करौली शहर	नगर परिषद करौली	—
63	रिक्त वार्ड नं० 05	18295	करौली शहर	नगर परिषद करौली	—
64	रिक्त वार्ड नं० 24	18291	करौली शहर	नगर परिषद करौली	महिला आरक्षित
65	रिक्त वार्ड नं० 4	18262	करौली शहर	नगर परिषद करौली	—
66	रिक्त वार्ड नं० 8	18271	करौली शहर	नगर परिषद करौली	—
67	रिक्त वार्ड नं० 15	18244	करौली शहर	नगर परिषद करौली	महिला आरक्षित
68	बालघाट	8159	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	—
69	शहराकर	19618	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	—
70	झाडीसा	19598	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	—
71	नॉगल शेरपुर	25595	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	—
72	मोरडा	25584	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	महिला आरक्षित
73	भण्डारी	19580	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	—
74	अजीजपुर	19575	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	—
75	कुटावल	25577	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	महिला आरक्षित

३

76	बालघाट	8183	टोडाभीम ग्रामीण	टोडाभीम	-
77	रिक्त वार्ड नं. 10	21059	टोडाभीम शहर	नगर पालिका टोडाभीम	-
78	रिक्त वार्ड न 1-6	21051	टोडाभीम शहर	नगर पालिका टोडाभीम	-

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा-निर्देशों तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय करौली में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताए निम्नानुसार होगी—

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदन उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदन की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक से स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा, यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदन से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा कि चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
3. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय एक प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये।
4. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
5. आवेदक द्वारा निम्न विन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा—
  - 5.1 आवेदक पूर्व में ईसी एकट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
  - 5.2 आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
  - 5.3 आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
  - 5.4 आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
  - 5.5 आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
  - 5.6 आवेदक बालिग एवं रवस्थचित्त है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
  - 5.7 आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000 रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000 होना आवश्यक है।
7. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।
8. आवेदक/समितियो/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बायत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुर्ग उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
10. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति के मागले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
11. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कभी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदकों को कार्यालय में जमा करवाने होंगे पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा फार्म मान्य नहीं है।


  
(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर (रसद)  
करौली

दिनांक:— 14.02.2023

क्रमांक:—रसद/एफ.पी.एस. नियु./विज्ञप्ति/2023/923-36

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्ता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।
5. माननीय सांसद महोदय करौली।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला करौली।
7. उपर्युक्त अधिकारी समस्त जिला करौली।
8. तहसीलदार समस्त जिला करौली।
9. आयुक्त नगर परिषद् करौली/हिण्डौन/ई.ओ. नगर पालिका टोडाभीम।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला करौली।
11. अधिशापी अधिकारी नगर पालिका समस्त जिला करौली।
12. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम करौली।
13. सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय करौली को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का रथानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(रामसिंह मीना)  
जिला रसद अधिकारी  
करौली